दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा एवं ई-मापी सहित सभी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश

राजस्व कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अपर समाहर्ता, रोहतास ललित भूषण रंजन, राजस्व प्रभारी मोहम्मद जफर हसन, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिले में चल रहे विभिन्न राजस्व कार्यों की अंचलवार समीक्षा की गई। मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, ई-मापी तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति एवं लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं समय-सीमा का अक्षरशः पालन करते हुए सभी राजस्व मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बिहार सरकार के राजस्व पोर्टल पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी सहित विभिन्न राजस्व सेवाएं उपलब्ध हैं। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अभियान बसेरा को उच्च प्राथमिकता देते हुए सभी अंचलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया।

सीओ को दी गई जिम्मेदारी: उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा से संबंधित पात्र लाभुकों के आवेदन प्राप्त करने एवं उनके मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अंचलाधिकारी अपने-अपने अंचल कार्यालय में अभियान बसेरा से संबंधित आवेदन प्राप्त करेंगे तथा प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच एवं अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्र स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक करते डीएम

ई-मापी एवं अन्य राजस्व कार्यों की भी हुई समीक्षा

बैठक में ई-मापी से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन करते हुए लंबित मामलों को कम किया जाए। इसके अतिरिक्त जमाबंदी, राजस्व अभिलेखों के संधारण, ऑनलाइन राजस्व सेवाओं तथा अन्य राजस्व कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र के राजस्व कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं।

सीओ को दी गई जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा से संबंधित पात्र लाभुकों के आवेदन प्राप्त करने एवं उनके मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अंचलाधिकारी अपने-अपने अंचल कार्यालय में अभियान बसेरा से संबंधित आवेदन प्राप्त करेंगे तथा प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच एवं अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्र स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

राजस्व मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं

जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस से संबंधित मामलों की भी समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऑनलाइन जमाबंदी में पाई जाने वाली त्रुटियों तथा अन्य संबंधित मामलों का विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप शीघ्र निष्पादन किया जाए। विभाग के अनुसार परिमार्जन प्लस का उपयोग डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों के सुधार तथा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन के लिए किया जाता है।

लंबित मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर करें कार्रवाई

जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने स्तर से लंबित मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें तथा आम लोगों को राजस्व सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए आम नागरिकों की समस्याओं का नियमानुसार त्वरित समाधान किया जाए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व कार्यों में तेजी लाते हुए लंबित मामलों के निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें।

न्यूज ब्रीफ

पंद्रह दिन पूर्व गायब युवक को पुलिस ने बरामद किया

अकोढ़ीगोला| आयर कोठा पुलिस ने पडूरी के अपहित एक युवक को बरामद कर लिया। वह करीब पंद्रह दिन पूर्व आयर कोठा से गायब हो गया था। थानाध्यक्ष शिवम कुमार ने बताया कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के पडूरी निवासी महेंद्र चौधरी के पत्नी मीना देवी ने अपने 18 वर्षीय बेटे रवि कुमार का आयर कोठा से अपहरण का आरोप लगाया था। जिसमें आयर कोठा गांव के एक महिला और उसके बेटी पर अपहरण करने आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था। इस मामले में थाना कांड संख्या 93/ 26 ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए करवाई शुरू हुई। जिसमें कॉल डिटेल्स व तकनीकी सबूतों के आधार पर करवाई शुरू हुई। युवक को आयर कोठा अकोढ़ीगोला मोड़ के समीप से बरामद कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त युवक को हिरासत में लेकर न्यायालय को सौंप दिया।

सोन नदी से मानव कंकाल मिला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सासाराम| दरिहट थाना क्षेत्र के भूसऊला के पास सोन नदी से एक मानव का कंकाल बरामद हुआ है। बताया जाता है की नदी में बहते हुए एक मानव कंकाल किनारे में आ गया था। जिसे देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद भूसऊला से दरिहट थाना की पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसका कंकाल को बरामद किया तथा उसे पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल के मेडिकल टीम द्वारा बताया गया कि बॉडी की स्थिति काफी नाजुक है। ऐसे में इस कंकाल को पटना स्थित फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। जहां उसकी विशेष रूप से पोस्टमार्टम होगी।

मारपीट कर किया घायल, चार के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज

डालमियानगर| डालमियानगर थाना में मारपीट के मामले में चार आरोपितों पर प्राथमिक की दर्ज की गई है। डालमियानगर थाना क्षेत्र के न्यू सिधौली निवासी स्व रामचंद्र सिंह के पीड़ित पुत्र संजय सिंह ने बताया कि डालमियानगर बाजार से आने के क्रम में बेवजह पूर्णवासी बिगहा व प्रयाग बिगहा निवासी चार लोगों ने योजना बनाकर मेरे साथ मारपीट कि। जिसमें मुझे गंभीर चोट लगी तथा सर फट गया। डालमियानगर थानाध्यक्षा उमूश सलमा ने बताया कि पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर चार आरोपितों पर मामला दर्ज किया गया है।मामले की जांच की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है

पुल से टकराई बाइक, दवा व्यवसायी गंभीर रूप से जख्मी

बिक्रमगंज| **बिक्रमगंज** अनुमंडल क्षेत्र के बेन सागर के पास एक पुलिया में बाइक टकराने से बाइक सवार दवा व्यवसायी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी की पहचान बिक्रमगंज निवासी दवा व्यवसायी राहुल कुमार के रूप में बताई जाती है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए बिक्रमगंज करुणा अस्पताल पहुंचाया गया, जहा प्रारंभिक इलाज कर उनकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने बाहर रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि राहुल कुमार बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी बाइक पुलिया से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

दो घरों में चांदी के सिक्के समेत लाखों के सामान चोरी

डालमियानगर| थाना क्षेत्र के सखरा गांव में बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने दो अलग-अलग घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सखरा मोड़ स्थित कोल परिवहन सेवा संघ कार्यालय के पीछे उपेंद्र ओझा के महावीर इंटरप्राइजेज के कार्यालय का ताला तोड़कर नकदी व चांदी के सिक्के चोरी कर लिए। वहीं गांव में ही वर्षों से बंद पड़े एक पुराने मकान को भी चोरों ने निशाना बनाया। यहां से करीब 2.5 लाख रुपये नकद और जेवरात चोरी होने की बात सामने आई है। महावीर इंटरप्राइजेज के मालिक उपेंद्र ओझा के कार्यालय में चोरों ने पहले ताला तोड़ा। इसके बाद कार्यालय के अंदर रखे अलमारी को तोड़कर उसमें रखे करीब 10 हजार रुपये नकद और लगभग 20 चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गए। वहीं सखरा गांव निवासी अरविंद सिंह के वर्षों से बंद पड़े पुराने मकान में भी चोरों ने चोरी की।

कांग्रेस पार्टी ही देश की आत्मा है : सांसद

भास्कर न्यूज़ | नौहट्टा

रोहतास प्रखण्ड मुख्यालय स्थित निजी हॉल में गुरुवार को रोहतास प्रखण्ड कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. मो हसन खान ने की। सम्मेलन का उद्घाटन सांसद मनोज कुमार और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन विस्तार पर जोर दिया गया।

लोगों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज कुमार ने कहा कि \'कांग्रेस पार्टी ही देश की आत्मा है। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं। हमें बूथ स्तर तक जाकर जनता की समस्याओं को सुनना है और सरकार की नाकामियों को उजागर करना है। आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही कांग्रेस मजबूत होगी।

सांसद ने कहा कि मोदी जी सांसद निधि के रूप में 5 करोड़ देते हैं लेकिन उसमें भी जीएसटी 18 प्रतिशत काट लेते हैं। जिलाध्यक्ष जयप्रकाश पांडेय ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास गौरवशाली रहा है। सभी कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करें।

डेहरी व सासाराम स्टेशन पर चला स्वच्छता अभियान

डालमियानगर| पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में 'स्वच्छता ही सेवा 2026' अभियान के तहत डेहरी ऑन सोन, सासाराम, अनुग्रह नारायण रोड, भभुआ रोड, गया समेत अन्य स्टेशनों पर सघन साफ-सफाई अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान पेंट्री कारों और खानपान से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफाई की गई। साथ ही खानपान स्टॉल संचालकों एवं यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूक किया गया। स्टेशन परिसरों में कचरा निर्धारित स्थान पर डालने और साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया।

28 वाहनों पर 3 लाख से अधिक जुर्माना

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। विभाग की ओर से चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान छोटे-बड़े कुल 28 वाहनों को नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया। जांच के बाद संबंधित वाहन मालिकों से तीन लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में वरीय मोटरयान निरीक्षक कौशल किशोर त्रिपाठी ने बताया कि परिवहन विभाग की टीम द्वारा विभिन्न मार्गों पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान वाहनों के जरूरी कागजात, परमिट, फिटनेस, टैक्स सहित अन्य निर्धारित मानकों की जांच की गई।

अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने छोटे वाहनों के साथ-साथ बड़े व्यावसायिक वाहनों को भी जांच के दायरे में रखा। अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों का पालन करना केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वाहनों के दस्तावेज दुरुस्त रखने के साथ ही निर्धारित मानकों का पालन करना वाहन मालिकों की जिम्मेदारी है।

नियम तोड़ने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई : परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यातायात और परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। विशेष रूप से बिना जरूरी कागजात, अधूरे दस्तावेज अथवा निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

वहीं वरीय मोटरयान निरीक्षक कौशल किशोर त्रिपाठी ने अपील की कि वे अपने वाहनों के सभी जरूरी कागजात अद्यतन रखें और परिवहन विभाग के निर्धारित नियमों का पालन करें।

बंगाल के सह-प्रभारी बने राजेंद्र सिंह, निवेदिता सिंह को झारखंड का जिम्मा

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को पश्चिम बंगाल का सह-प्रभारी तथा विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह को झारखंड का सह-प्रभारी बनाए जाने पर रोहतास जिला भाजपा में खुशी की लहर है। दोनों नेताओं को महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर आयोजित बधाई कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष पटेल ने की, जबकि संचालन जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह ने किया।

भाजपा नेताओं ने कहा कि राजेंद्र सिंह एवं निवेदिता सिंह लंबे समय से संगठन के विभिन्न दायित्वों का पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते आ रहे हैं। संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कार्यकर्ताओं के साथ उनका निरंतर संवाद तथा वर्षों का संगठनात्मक अनुभव पार्टी की महत्वपूर्ण पूंजी है। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें दो महत्वपूर्ण राज्यों की संगठनात्मक जिम्मेदारी दिया जाना रोहतास जिले के लिए भी गौरव का विषय है। बधाई देने वालों में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील कुमार, राजेंद्र सिंह उर्फ भोला जी, प्रमोद सिंह, अशोक साह, राकेश रंजन, मदन वैश्य, विवेक सिंह, प्यारेलाल ओझा, डॉ. शिवनाथ चौधरी, सत्यनारायण पासवान, संतोष शर्मा,सत्येंद्र दुबे आदि शामिल रहे।

दरवाजे पर खड़ी बाइक चोरी, प्राथमिकी दर्ज

काराकाट| थाना क्षेत्र के बाई डिहरी गांव से दरवाजे पर खड़ी एक बाइक अज्ञात चोर चुरा कर ले भागे। बाइक उसी गांव के आकाश पांडेय की बताई गई है। बाइक मालिक द्वारा अज्ञात के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी कराई गई है। सूचक के अनुसार घटना गत गुरुवार की रात घटी। वे देर शाम गोड़ारी से अपनी मां को लेकर गांव गए। घर के दरवाजे पर अपनी हीरो कम्पनी की एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल खड़ी कर घर मे सोने चले गए। सुबह देखा तो बाइक वहां से गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी कहीं पता नहीं चल सका।

दुकान में रेट लिस्ट नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई

भास्कर न्यूज़ | बिक्रमगंज सदर

नगर क्षेत्र में खरीदारी करने वाले ग्राहकों को सामान और सेवाओं की निर्धारित कीमत की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी दिलीप कुमार ने दुकानदारों एवं सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है। आदेश के तहत सभी दुकानदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को अपनी दुकान, ठेला या कार्यस्थल के सामने स्पष्ट, पठनीय और अद्यतन रेट लिस्ट प्रदर्शित करनी होगी।सब्जी, मांस, चिकेन और मछली विक्रेताओं को बिक्री की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं की कीमत प्रति किलोग्राम या निर्धारित इकाई के अनुसार प्रदर्शित करनी होगी।

कीमत में बदलाव होने पर रेट लिस्ट को तत्काल अपडेट करना होगा। गुणवत्ता, ब्रांड या वजन के आधार पर अलग-अलग दर होने पर प्रत्येक श्रेणी की कीमत अलग से लिखनी होगी। किराना एवं जनरल स्टोर में चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक, मसाले, साबुन और डिटर्जेंट सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दर प्रदर्शित करनी होगी। फल, मिठाई, नाश्ता-रेस्टोरेंट, डेयरी, बेकरी, पेय पदार्थ, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक-इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर और कपड़ा दुकानों पर भी प्रमुख सामान की दर सूची लगाने का निर्देश दिया गया है।

मिस्त्री और तकनीशियन भी बताएंगे सेवा शुल्क एसी, कूलर, इन्वर्टर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर, प्लंबर एवं इलेक्ट्रीशियन समेत अन्य तकनीशियनों को मरम्मत, सर्विसिंग और इंस्टॉलेशन के श्रम एवं सेवा शुल्क की दर भी प्रदर्शित करनी होगी।सभी दुकानदारों को सही वजन और माप देने का निर्देश दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा-तराजू निर्धारित मानकों के अनुरूप रखना होगा। प्रदर्शित अथवा बताई गई दर से अधिक राशि वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद, प्रखंड-अंचल एवं संबंधित विभागीय अधिकारी समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण करेंगे। जांच के दौरान रेट लिस्ट नहीं मिलने, अधिक राशि वसूलने अथवा वजन-माप में गड़बड़ी पाए जाने पर प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 29 सितंबर से

सासाराम| जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2026-27 की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इस प्रतियोगिता में कुल 20 विधाओं (खेलों) का आयोजन 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले न्यू स्टेडियम फजलगंज तथा खेल भवन में संपन्न होंगे। प्रतियोगिता की तिथियों को बढ़ाकर 27 सितंबर 2026 कर दिया गया है।

जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने समीक्षात्मक बैठक कर जिला खेल पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि प्रतियोगिता से संबंधित सभी तैयारी मैदान निर्माण, तकनीकी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तथा विद्यालय के खिलाड़ियों की सहभागिता अधिक से अधिक हो सुनिश्चित करें। आगे उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था हेतु सिविल सर्जन रोहतास,विद्यालय के खिलाड़ियों की सहभागिता हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी , पेयजल, साफ सफाई हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम सासाराम, प्रचार प्रसार हेतु जिला सूचना एवं संपर्क पदाधिकारी ,सुरक्षा हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम आदि से समन्वय स्थापित कर खेलों की तैयारी का अंतिम रूप दें। सभी प्रतियोगिताएं न्यू स्टेडियम फजलगंज तथा खेल भवन में खेली जाएगी।

बॉस्केट बॉल : नारायण वर्ल्ड स्कूल 38-10 से जीता

भास्कर न्यूज़ | डेहरी

जीएनसीयू परिसर में चल रहे सी बी एस सी राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता लगातार बारिश के कारण कार्यक्रम प्रभावित रहा। चौथे दिन सीमित संख्या में ही मुकाबले पूरे हो सके। इसके बावजूद कोर्ट पर उतरी टीमों ने शानदार प्रतिस्पर्धा दिखाई। अंडर 14 बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए नारायण वर्ल्ड स्कूल, जमुहार की टीम ने संत जेवियर्स स्कूल माडल टाउन, भटिंडा को 38-10 के बड़े अंतर से हराया। इसी प्रकार खेले गए मैच में दिल्ली प्राइवेट स्कूल दुबई ने अल खोर इंटरनेशनल स्कूल, कतर को 19–10 से हराया। विद्या ज्ञान स्कूल, सुरैनचा सिंधौली ने क्वीन्स वैली स्कूल, द्वारका दिल्ली को 32–15 से हराया। अंडर-17 बालिका वर्ग में सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंडीगढ़ ने पतंजलि ऋषिकुल, तेलियरगंज, प्रयागराज को 42–27 से हराया जबकि नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल, सामा रोड, बड़ौदा ने बोकारो पब्लिक स्कूल, बी.एस. सिटी, बोकारो को 49–27 से हराया।

इसी प्रकार अंडर19 बालिका वर्ग में

न्यू एरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वडोदरा ने मेरठ पब्लिक स्कूल, मेरठ को 50–44 से हराया। गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बरवासन, सोनीपत ने एपेक्स पब्लिक स्कूल, बुराड़ी, दिल्ली को 55–50 से हराया। बारिश के कारण आज सीमित मुकाबले ही पूरे हो सके। शेष मुकाबले मौसम की स्थिति के अनुसार आगे खेले जाएंगे। वर्षा के कारण आज के कुछ मैच जो समय पर नहीं आयोजित किया गया उसकी तैयारी में आयोजन समिति लगी हुई है।

लंबित आवेदनों का शीघ्र करें निष्पादन, कैंप लगाकर श्रमिकों का कराएं निबंधन

सासाराम| डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने गुरुवार को डीएम कार्यालय में श्रम संसाधन एवं प्रवासी एवं श्रमिक कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में श्रम अधीक्षक राजीव रंजन सहित जिले के सभी प्रखंडों में पदस्थापित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान डीएम ने जिला जनता दरबार से संबंधित लंबित आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार योजना, 2011 के तहत लंबित 9 आवेदनों का भी त्वरित निष्पादन कराने को कहा। डीएम ने ई-श्रम कार्ड एवं बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निर्माण श्रमिकों का कैंप लगाकर निबंधन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत निबंधन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। समीक्षात्मक बैठक में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तनु प्रिया,अजीत कुमार,दीपक कुमार, मुन्ना कुमार,खुशबू कुमारी, राहुल शुक्ला के अलावे जिला के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।

डीएम ने की समीक्षा, बेरोजगार अभ्यर्थियों को अब मिलेंगे ज्यादा अवसर

नियमित शिविर लगा कर रोजगार कराएं उपलब्ध

भास्कर न्यूज़ | सासाराम

जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला नियोजन कार्यालय के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा नियोजन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले में नियमित रूप से रोजगार शिविर एवं रोजगार मेले का आयोजन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार एवं रोजगार की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि रोजगार शिविरों एवं मेलों के आयोजन के लिए विभिन्न नियोजकों एवं प्रतिष्ठानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए तथा अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, रोजगार के इच्छुक युवाओं तक इन आयोजनों की जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर सूचना एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित करने का निर्देश दिया गया।

स्टडी किट एवं टूल किट के समयबद्ध वितरण का निर्देश : बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने स्टडी किट, टूल किट एवं अन्य संबंधित सामग्री के वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को ससमय स्टडी किट एवं टूल किट का वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभुकों को अपने अध्ययन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के कार्यों में इसका समुचित लाभ मिल सके। जिला पदाधिकारी ने जिला नियोजन कार्यालय को निर्देशित किया कि युवाओं के कौशल एवं रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से नियोजन एवं कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। उन्होंने रोजगार संबंधी योजनाओं एवं अवसरों का लाभ अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नियोजन कार्यालय से संबंधित कार्यों का नियमित अनुश्रवण करते हुए निर्धारित गतिविधियों एवं लक्ष्यों का समयबद्ध रूप से निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी दिनेश तिवारी एवं जिला कौशल प्रबंधक मनीष कुमार उपस्थित थे।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सर्कल ऑफिस, ओल्ड जीटी रोड,
औरंगाबाद, बिहार – 824101

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम खाते का नाम उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1.	शाखा-चेनारी (1404) मेसर्स राजनंदनी ट्रेडर्स, प्रो.-जय प्रकाश गुप्ता श्री जय प्रकाश गुप्ता पिता श्री जानकी साह श्री जानकी साह पिता श्री धनी साह सभी निवासी-बस स्टैंड चेनारी, ग्राम-चेनारी, बिहार-821104 खाता संख्या-1404008700002998	अचल संपत्ति स्थित है: मौजा- बनौली, हल्का-बनौली, अंचल-चेनारी, जिला- रोहतास थाना संख्या-475, खाता संख्या-74, खेसरा संख्या-421, प्लॉट संख्या-421, क्षेत्रफल-4.75 डिसमिल जिसका पंजीकृत बंधक विलेख संख्या 3644 दिनांक 30.03.2018 है जोकि जयप्रकाश गुप्ता पिता जानकी साह द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में निष्पादित किया गया है। चौहद्दी: उत्तर-सदर अस्पताल चेनारी, दक्षिण-पार्ट प्लॉट संख्या 421 अनिलप्रसाद सिंह, पूर्व-रमेश प्रसाद सिंह, पश्चिम-सड़क।	क) 18.05.2026 ख) रु. 21,31,142.01/- दिनांक 31/08/2026 तक + अतिरिक्त ब्याज ग) 13.08.2026 घ) सांकेतिक	क) रु. 29,10,400/- ख) रु. 2,91,040/- ग) रु. 25,000/-	दिनांक 27.10.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी: 1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 27.10.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी